Annexure - III

राजस्थान सरकार

निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांकः– एफ.6(2)मत्स्य / योजना / 2020–21 / दिनांकः–

प्रस्ताव आमंत्रण

राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में आत्म निर्भर भारत पैकेज अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत केन्द्रीय सहायता से संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं के प्रोजेक्ट सेल्फस तैयार करने हेतु मत्स्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों / स्वयं सहायता समूह / सहकारी समितियों / फर्मो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। जिसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग, महिलाओं एवं संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाईन अनुसार वित्तीय अनुदान देय होगा। मुख्य मत्स्य योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	मुख्य योजनाओं का नाम
1	मत्स्य पोण्ड निर्माण
2	मत्स्य केज कल्चर
3	खारा पानी झींगा पालन पौन्ड निर्माण
4	मत्स्य बीज हैचरी / फार्म
5	मत्स्य बीज उत्पादन यूनिट निर्माण (2 हैक्टर)
6	मत्स्य विपणन हेतु आधारभूत सूविधायें (दुकान, मार्केट, मत्स्य परिवहन सुविधाऐं)
7	आईस फैक्ट्री / मत्स्य फीड मिल स्थापना
8	मत्स्य प्रसंस्करण
9	नवाचार योजनायें (आर.ए.एस., बायफ्लाक आदि)
10	मत्स्य प्रशिक्षण (3 दिवसीय)

इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अन्य मत्स्य योजना, मत्स्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास फण्ड (एफ.आई.डी.एफ) के तहत नियमानुसार बैंक ऋण लेकर ब्याज अनुदान की योजना का लाभ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना तथा मत्स्य इन्फास्ट्रक्चर विकास फण्ड (एफ.आई.डी.एफ) योजना के अंतर्गत किसी एक प्रोजेक्ट में एक ही योजना का लाभ ही लिया जा सकता है।

उपरोक्त सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों तथा विभागीय वेबसाइट **www.fisheries.rajasthan.gov.in,** राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद, (NFDB) की वेबसाईट WWW.nfdb.gov.in, भारत सरकार की वेबसाईट **www.dof.gov.in** एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट **www.diprrajasthan.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है तथा इच्छुक व्यक्ति / फर्म पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय से सम्पर्क कर योजना की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर अपने आवेदन पत्र मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट व दस्तावेज संबंधित मत्स्य कार्यालय में जमा करवा कर नियमानुसार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(श्याम लाल गूजर)

आई.ए.एस.

निदेशक

C:\Users\Rohit Fish\Desktop\New folder\Plan\2020-21 files\Vigapti matter.docx

क्रमांकः—एफ.6(2)मत्स्य / योजना / 2020—21 / 8441-8550 दिनांकः— 25/6/2020

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को 20 प्रतियों मय सीडी में भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाने का श्रम करें।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद......................को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार प्रसार कर इच्छुक व्यक्तियों के प्रस्ताव तैयार कराकर निदेशालय को प्रेषित करावें।
8. मुख्य कार्यकारी,राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, मत्स्य भवन, पिलर नं0 235, पी.वी.एन.आर. एक्सप्रेसवे, हैदराबाद—500052।
9. उप निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य / मत्स्य विकास / परियोजना अधिकारी।
10. भण्डार शाखा, निदेशालय मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर को बिल का भुगतान करने हेतु प्रेषित है।
11. नोटिस बोर्ड, निदेशालय मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।

निदेशक मत्स्य
राज0 जयपुर

C:\Users\Rohit Fish\Desktop\New folder\Plan\2020-21 files\Vigapti matter.docx